IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, March 2026
Impact Factor: 8.2

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा - सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के संदर्भ में

संतोष कुमार यादव

सहायक आचार्य (शिक्षा शास्त्र)

डी. सी. एस. खंडेलवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊ

santoshlko79@gmail.com

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार पर बल दिया गया है। इस नीति में रचनात्मक (Formative) और सतत् , व्यापक मूल्यांकन को प्राथमिकता दी गई है। NCF 2005 के सुझाव के अनुरूप इस नीति में भी मूल्यांकन को केवल वार्षिक परीक्षा तक सीमित न रखकर निरंतर प्रक्रिया बनाने का सुझाव दिया गया है। 360-डिग्री समग्र प्रगति कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आकलन किया जाएगा तथा स्व-मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन को शामिल किया गया है। अवधारणात्मक स्पष्टता, तार्किक चिंतन और विश्लेषण क्षमता पर विशेष जोर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को लचीला और तनावमुक्त बनाने हेतु वर्ष में दो बार परीक्षा का प्रावधान किया गया है। PARAKH की स्थापना से मूल्यांकन के मानक तय किए जाएंगे। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु NAAC की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की सतत् और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को आधुनिक रूप में पुनर्स्थापित करती है।

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय ज्ञान परम्परा, NCF – 2005, सतत, व्यापक, मूल्यांकन।

प्रस्तावना

शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन को शिक्षा का मुख्य स्तंभ माना गया है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता-असफलता का आंकलन किया जाता है। किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की प्रक्रिया प्राचीन-काल से ही चलती आ रही है। प्राचीन-काल में योग्य विद्यार्थी के चयन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रणाली से

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-31524

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, March 2026
Impact Factor: 8.2

ही मूल्यांकन का आरम्भ हुआ माना जाता है। औपचारिक मूल्यांकन के प्रयोग का सबसे प्राचीन प्रमाण 2000 ईसा पूर्व में चीन में मिलता है। भारत में प्रचलित वर्तमान परीक्षा-प्रणाली लॉर्ड मैकाले ने सन् 1835 में प्रारम्भ की थी। भारतीय शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा है। मूल्यांकन और आकलन किसी भी शिक्षण अधिगम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान में जो अंतर दिखाई पड़ता है अर्थात् शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत विद्यार्थी के व्यवहार में जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है वही उस विद्यार्थी की उपलब्धि होती है। अध्यापक के द्वारा इसी उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। समय-समय पर शिक्षा नीतियों में परीक्षा और मूल्यांकन को लेकर चिंताए व्यक्त की जाती रही हैं। कोठारी आयोग (1964-66) के सुझाव पर निर्मित भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया कि मूल्यांकन की एक ऐसी सतत् प्रक्रिया होना चाहिए जिससे छात्रों को अपने उपलब्धि स्तर को उन्नत करने में सहायता मिले, न कि किसी समय विशेष पर छात्रों के कार्य की गुणवत्ता देखकर उसे प्रमाणित करने का उद्यम मात्र होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी उल्लेख किया गया है कि मूल्यांकन एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ बच्चों को उनकी सफलता या असफलता का प्रमाण-पत्र देना नहीं, बल्कि उसकी योग्यता को बढ़ाना और सही दिशा प्रदान करना है।[1] इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों का सतत् आकलन किया जाए जिससे यह पता चल सके कि बच्चे के विकास की गति ठीक है या नहीं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का संप्रत्यय इस तथ्य पर आधारित है कि सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, उनके सोचने-समझने की क्षमता भिन्न-भिन्न होती है और उसी आधार पर उसका विकास भी होता है। अत: सभी बच्चों का मूल्यांकन भी एक तरह से नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन प्रक्रिया में आंकलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2008 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा - 2005 की संस्तुतियों के बाद किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा - 2005 (NCF - 2005) में मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताए व्यक्त की गई हैं।[2] इसमें कहा गया कि मूल्यांकन किसी भी छात्र के उपलब्धि के बारे में अंतिम निर्णय न होकर सतत् और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे छात्रों के अधिगम

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-31524

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, March 2026
Impact Factor: 8.2

अवरोधकों (Learning gaps) का पता करके शिक्षण अधिगम की प्रकिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा - 2005 में कहा गया है कि शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र का प्रगति-पत्र तैयार करने से छात्र के बारे में यह सोचने का मौक़ा मिलता है कि उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम - 2009 में भी परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर सतत और व्यापक मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है।[3] एन0एस0 दांडेकर के अनुसार, "छात्रों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते है।[4] छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन रचनात्मक और योगात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। उच्च शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली प्रारंभ से ही योगात्मक या परीक्षा केंद्रित रही है। योगात्मक मूल्यांकन में सत्रांत में एक परीक्षा में माध्यम से छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं। योगात्मक परीक्षा किसी बाहरी संस्था जैसे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। परंतु यह मूल्यांकन की अवधारणा को नकारता है क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य किसी पाठ्यक्रम के अंत में परीक्षा आयोजित कर छात्रों को सफल या असफल घोषित करना नहीं है, अपितु उनके अधिगम, विकास और सुधार की प्रक्रिया को सतत् रूप से आगे बढ़ाना है। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत् मूल्यांकन का ही पर्याय है। सतत् मूल्यांकन का अर्थ यह है कि छात्र का मूल्यांकन वही अध्यापक करे जो अध्यापन कार्य कर रहा है और मूल्यांकन कार्य सत्रांत में न होकर संपूर्ण सत्र के दौरान लगातार होता रहे। सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन सत्र के बीच में समान अंतराल पर करते रहते हैं। मूल्यांकन के उपरांत छात्रों को उनकी कमियों की जानकारी दी जाती है तथा अध्यापक को भी अपनी शिक्षण तकनीकी में सुधार करने में मदद मिलती है। इससे छात्रों और शिक्षकों को पृष्ठपोषण मिलता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, March 2026
Impact Factor: 8.2

सतत्

सतत् के साथ आकलन शब्द जुड़ा हुआ है। सतत आकलन और शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ-साथ चलती रहती है। शिक्षण के साथ-साथ छात्रों का सतत् आंकलन औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से अनवरत चलता रहता है। अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सतत आकलन करता रहता है और प्राप्त पृष्ठपोषण के आधार पर अपनी शिक्षण विधि में सुधार करता है जिससे बच्चों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। सतत् आकलन नियमित अंतराल पर किया जाता है। सतत् आकलन से बालकों के अधिगम अवरोधों का पता चलता है जिसके लिए अध्यापक उपचारात्मक शिक्षण करता है। आंकलन सूचनात्मक, सुझावात्मक, परामर्शात्मक और संवादात्मक प्रकृति का होता है।

व्यापक

व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास से है। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है।

मूल्यांकन

मूल्यांकन का अर्थ है मापन + मूल्यों का अंकन। यह एक व्यापक अवधारणा है तथा इसमें बालक के व्यवहार के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष निहित होते हैं। मूल्यांकन का तात्पर्य बच्चों के सीखने की गति, संप्रत्यय, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, व्यवहार आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध तरीक़े से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या और सुझाव देने की प्रक्रिया से है। साक्ष्यों के संकलन के लिए मूल्यांकनकर्ता अनेक उपकरणों यथा अवलोकन, परीक्षण, अनुसूची, प्रश्नावली, प्रक्षेपीय तकनीकी, समाजमिति आदि का उपयोग

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, March 2026
Impact Factor: 8.2

करता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के आधार पर आवश्यक सुधार कर बच्चों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा में सतत् और व्यापक मूल्यांकन

प्राचीन काल में सतत् और आंतरिक मूल्यांकन के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। प्राचीन काल में भारतीय ज्ञान परम्परा में शिष्य, गुरु के चयन से पूर्व उनका मूल्यांकन करता था। छात्र किसी भी गुरुकुल में प्रवेश लेने से पूर्व उसमें अध्यापन कार्य करने वाले गुरु की ख्याति, विद्वत्ता, पूर्व छात्रों के विचार और गुरु के प्रति समाज के विचार आदि से भली भाँति अवगत होता था अर्थात् छात्र विभिन्न कसौटियों पर गुरु का मूल्यांकन करने के पश्चात ही उनका चयन करता था। छात्र, अध्यापक का मूल्यांकन, अवलोकन के आधार पर करता था। इसी प्रकार गुरु भी शिष्यों का चयन करते समय उनके अच्छे संस्कार, आचरण, निष्ठा, ईमानदारी आदि का अवलोकन करके ही गुरुकुल में प्रवेश देते थे। शिक्षा के दौरान गुरु द्वारा शिष्य का सतत् मूल्यांकन भी किया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत गुरु द्वारा बिना किसी लिखित परीक्षा का आयोजन किए बग़ैर सतत् मूल्यांकन के आधार पर तथा मौखिक रूप से शिष्यों के ज्ञान, तर्क शक्ति, विश्लेषण इत्यादि का अवलोकन किया जाता था और इसी के आधार पर विद्यार्थी को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता था।

वैदिक काल में गुरुकुलों में समेकित शिक्षा की व्यवस्था थी जिसके अन्तर्गत मंद बुद्धि के बालकों का प्रवेश लिया जाता था। ए0एस0 अल्तेकर के अनुसार विद्यालयों में मंद छात्रों का परीक्षण किया जाता था और फिर उन्हें सलाह दी जाती थी वे अपनी पढ़ाई को रोक दें या समाप्त कर दें। यह सलाह उन छात्रों को तब दी जाती थी जब वे अनेक प्रयास और परीक्षण में माध्यम से मूल्यांकित कर लेते थे कि उनमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा अर्थात् अध्यापक छात्रों का निरंतर सतत मूल्यांकन करते थे।[5]

उपनिषद तथा बुद्ध सूत्र में उल्ललिखित है कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुरु छात्रों के समूह के मध्य चर्चा के बिंदु को रख देता था तथा छात्रों के दिये गये अनुक्रिया का अवलोकन करके उनकी तुलना करता था और इस आधार

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, March 2026
Impact Factor: 8.2

पर छात्रों का मूल्यांकन करता था । इसी प्रकार अध्यापक अच्छे और कमज़ोर बच्चों की तुलना करते थे तथा अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कर उसमे आवश्यक संशोधन करते थे । कमजोर बच्चों के लिए नई तकनीकी और शिक्षण विधियों का उपयोग करके उनको शिक्षण प्रदान करते थे ।[6] वैदिक काल में गुरुओं द्वारा प्रतिदिन पूर्व में पढ़ाये गये पाठ का मूल्यांकन किया जाता था तथा संतुष्ट होने के उपरांत ही नवीन पाठ को प्रारंभ किया जाता था । प्राचीन काल में वार्षिक या योगात्मक या सत्रांत परीक्षा बहुत ही लचीली थी और परीक्षा का कोई समय भी निर्धारित नहीं था । अध्यापक कभी भी छात्रों का मौखिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन कर लेते थे । वैदिक काल में शलाका परीक्षाएँ होती थी जो वर्तमान की योगात्मक परीक्षा के समान थी । यह परीक्षाएँ समापवर्तन संस्कार के दिन होती थी जिसमें वाह्य विद्वतजनों द्वारा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा जाता था और जो छात्र अपने उत्तर से विद्वतजनों को संतुष्ट कर देता था उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता था । यह उत्तीर्ण उपाधि मात्र वाह्य विद्वतजनों के विचार के आधार पर ही नहीं दिया जाता था बल्कि शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापक की संतुष्टि और सलाह पर दी जाती थी अर्थात् वाह्य परीक्षा से अधिक आंतरिक मूल्यांकन को प्राथमिकता पर रखा जाता था । यह माना जाता है कि किसी भी विद्यार्थी के अवधारणानात्मक स्पष्टता, तार्किक चिंतन और विश्लेषण जैसी उच्च स्तरीय क्षमताओं का मूल्यांकन एक दिन में नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए उसके सतत मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है । प्राचीन काल के मूल्यांकन की यह परंपरा आज भी बरकरार है ।

वैदिक काल में अध्यापक विद्यार्थियों का सतत् और व्यक्तिगत मूल्यांकन करते थे । वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है । अध्यापक वैदिक छंदों में से एक बार में मात्र दो ही शब्दों का उच्चारण करने के लिए विद्यार्थियों को कहते थे । यदि छात्र उसका उच्चारण नहीं कर पाते थे तो अध्यापक शब्द को कम करके एक छंद कर देते थे। इसका अर्थ यह है कि अध्यापक नित्य प्रतिदिन छात्रों का मूल्यांकन करते थे । जब यह छंद एक छात्र

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, March 2026
Impact Factor: 8.2

को याद हो जाती थी तब यही प्रक्रिया दूसरे छात्र के साथ अपनाई जाती थी।[7] इस प्रकार प्रत्येक छात्र का सतत और आंतरिक मूल्यांकन किया जाता था।

प्राचीन काल में गुरुकुलों में अनेक प्रकार की शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ भी होती थी जैसे वाद-विवाद, भाषण इत्यादि। इन शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ का मूल्यांकन बोलने की शैली और वाक्पटुता के आधार पर की जाती थी।[9]

इस प्रकार के अनेक उद्धरण से ज्ञात होता है कि भारत में प्राचीन काल से ही छात्रों का सतत् और व्यापक आंतरिक मूल्यांकन किया जाता रहा है।

हम सभी भली भांति अवगत हैं कि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों द्वारा अध्यापन और विद्यार्थी द्वारा सीखने का पूर्ण प्रयास वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर ही केन्द्रित है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में परीक्षाएं शिक्षा की प्रक्रिया को अधिक प्रभावित करती हैं जो एक चिंता का विषय है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए समय-समय पर शिक्षण संस्थाओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों का मूल्यांकन आवश्यक है परन्तु यह मूल्यांकन प्रणाली रचनात्मक न होकर योगात्मक है जो वार्षिक परीक्षा पर आधारित है। कुछ घंटों में किसी भी विषय की आयोजित होने वाली परीक्षा से विद्यार्थी के वर्ष भर में पढाये गए विषय का मूल्यांकन न्यायोचित एवं सुसंगत भी नहीं है। हालांकि पूर्व में मूल्यांकन प्रणाली में गुणात्मक सुधार के लिए विभिन्न आयोगों और समितियों से सुझाव भी प्राप्त किए गए परन्तु ये सुझाव मूल्यांकन प्रणाली के सुधार में बहुत प्रभावी सिद्ध नहीं हुए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1965-66) के एक सुझाव के अनुसार, " विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से एक 'केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट' बनाई जाए जो विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु नियम बनाए तथा वाह्य परीक्षाओं के स्थान पर आंतरिक परीक्षाओं और सतत् मूल्यांकन को स्थान दिया जाए।[10] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 8वें भाग के अंत में तत्कालीन परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार की चर्चा की गई है। इसमें यह घोषणा की गई है कि मूल्यांकन को एक सतत् प्रक्रिया बनाया जाएगा, बाह्य मूल्यांकन के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाएगा, परीक्षाओं को वैध और विश्वसनीय बनाया जाएगा,

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, March 2026
Impact Factor: 8.2

प्रश्नपत्रों की रचना और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार फ्रेमवर्क (National Examination Reform Frame) तैयार किए जाने की बात भी की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह भी कहा गया है, "शैक्षिक प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों और उनके आधार पर बाहरी परीक्षाओं को समाप्त करना होगा और शिक्षकों द्वारा आंतरिक और सतत् मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना होगा।" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2019 में कहा गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय संरचना में मौजूद परीक्षा प्रणाली स्मृति अधिगम का परीक्षण करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सतत् और आंतरिक मूल्यांकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति के बेहतर आंकलन के लिए नियमित और रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किए जाने की बात की गई है जो छात्रों की अवधारणानात्मक स्पष्टता, तार्किक चिंतन और विश्लेषण जैसी उच्च स्तरीय क्षमताओं को जाँच सके। इस प्रकार की आतंरिक और सतत् मूल्यांकन प्रणाली छात्र को सीखने एवं शिक्षक को शिक्षण की प्रक्रियाओं को लगातार विकसित करने में मदद करेगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा NCERT के सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय आंकलन केन्द्र (NAC) के मार्गदर्शन में सभी राज्य / केन्द्र शासित राज्य द्वारा विद्यार्थियों के स्कूल आधारित मूल्यांकन के आधार पर बनायी गई एक समग्र, 360-डिग्री, बहु-आयामी प्रगति कार्ड अभिभावकों को दी जायेगी जिसमें प्रत्येक छात्र के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र में विकास का विस्तृत विवरण स्पष्ट होगा। इस प्रगति कार्ड में स्व-मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य और शिक्षक मूल्यांकन आदि शामिल होगा।[4] इस प्रगति कार्ड के द्वारा शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जिससे कक्षा और कक्षा के बाहर विद्यार्थी को मदद उपलब्ध करायी जा सकेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Inteligence, AI) के विकास और उपयोग से छात्रों के स्कूल के वर्षों के दौरान उनके विकास को ट्रैक करने में मदद करने के लिए किया जा सकेगा जिससे छात्रों की रूचि, सामर्थ्य, अभिक्षमता इत्यादि के बारे बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर उसके भविष्य निर्माण में मदद मिल सकेगी।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, March 2026
Impact Factor: 8.2

सभी प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं में तत्काल सुधार किए जाने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में कही गई है । विद्यार्थियों के अन्दर कोचिंग संस्कृति और बोर्ड परीक्षाओं का तनाव समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी । वार्षिक / सेमेस्टर / माड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं की एक प्रणाली विकसित किए जाने की योजना है जिसमें काफी कम सामग्री से ही प्रत्येक परीक्षा ली जाएगी । बोर्ड परीक्षा प्रश्नपत्र को बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक आधार पर तैयार किया जायेगा ।

शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय) के अंतर्गत एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में राष्ट्रीय आंकलन केन्द्र, परख, PARAKH (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के विद्यार्थियों के आंकलन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा-निर्देश बनाएगा और साथ ही साथ स्टेट अचीवमेंट सर्वे (SAS) का मार्गदर्शन और नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) का संचालन करेगा । परख द्वारा देश में सीखने के परिणामों की निगरानी के साथ मूल्यांकन के नए तरीकों और नवीन शोधों के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह भी दिया जाएगा ।

उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए UGC के सुझाव पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (NAAC) की स्थापना की गई । राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (NAAC) के द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के गुणवत्ता के समयबद्ध आंकलन के लिए प्रयास अनवरत रूप से किया जा रहा है । वर्तमान में उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए NAAC ही अधिकृत एजेंसी है । UGC के द्वारा प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान के लिए NAAC द्वारा मूल्यांकन कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है फिर भी सरकारों द्वारा अनेक प्रयासों के बावजूद भी अधिकतर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा नैक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी । हालाँकि उच्च शिक्षण संस्थाओं के आतंरिक गुणवत्ता के आंकलन के लिए मूल्यांकन आतंरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) का भी सृजन किया गया है परन्तु यह अभी

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, March 2026
Impact Factor: 8.2

प्रारंभिक दौर में है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में NAAC के अतिरिक्त अन्य मूल्यांकन एजेंसी राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् (NAC) के गठन की बात की गई है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक के मूल्यांकन प्रणाली में आमूलचूल बदलाव वर्तमान परिदृश्य की आश्यकता है । नीति निर्धारकों ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की समस्या के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक लचीली, पारदर्शी, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की है । निश्चित रूप से इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा ।

निष्कर्ष

अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा में विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष यथा संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक पक्ष का सतत् तरीक़े से संरचनात्मक मूल्यांकन होता था न कि योगात्मक मूल्यांकन । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा के सतत् और व्यापक आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली हो अपनाते हुए यह सुझाव दिया है कि स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों के सीखने की प्रगति के बेहतर आंकलन के लिए नियमित और रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया जाए जो छात्रों की अवधारणानात्मक स्पष्टता, तार्किक चिंतन और विश्लेषण जैसी उच्च स्तरीय क्षमताओं को जाँच सके । निःसंदेह प्राचीन काल से चली आ रही सतत् और व्यापक आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का प्रत्यय न केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से वरन् संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को बेहतर और अधिक लाभदायक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 दस्तावेज़ : 8.24, पृष्ठ 14
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – 2005 : पृष्ठ 81-87

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, March 2026
Impact Factor: 8.2

3. शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 : एक प्रवेशिका - 2014

4. एस0पी0 गुप्ता और अलका गुप्ता : आधुनिक मापन और मूल्यांकन, आगरा

5. ए0एस0 अल्तेकर : प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, वाराणसी, पृष्ठ 84

6. जातक : पृष्ठ 124

7. ऋक प्रतिशाख्य Patala -XV

8. रमन बिहारी लाल, भारतीय शिक्षा का विकास, (2013-14) : पृष्ट 201

9. ए0एस0 अल्तेकर : प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, वाराणसी, पृष्ठ 162

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दस्तावेज : पृष्ठ 27, 28